न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 15/2015

सायल :-

1-बरकतअली पुत्र जमाल
जाति-रंगरेज मुसलमान
निवासी-चावण्डिया कलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली,

बनाम

गैरसायलान :-

1-चाँदमोहम्मद पुत्र जमाल
जाति-रंगरेज मुसलमान
निवासी-चावण्डिया कलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली,

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:-16.02.2015

उपस्थितः- 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, गै0सा0।

दिनॉकः- 09/07/2015

-:: निर्णय ::-

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0-1 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा की आई हुई हैं, जो भूमि सायल व गै0सा0 के शामलाती हैं। जिसका बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नहीं हो रखा है व नक्शा ट्रेश साथ पेश किया हैं, जो प्राथना पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। समस्त भूमि के सायल का 1/2 हिस्सा है व इसी कदर मौके पर कब्जा व काश्त हैं तथा गै0सा0 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी हिस्स मुजब कब्जा व काश्त है। सायल अपने हिस्से में भूमि की तरक्की करना चाहता हैं तथा खाद व मिट्टी डालकर अधिक उपजाऊ बनाना चाहता हैं। परन्तु भूमि शामलाती होने से सही उपयोग व उपभोग करने में कठिनाई आती है। गै0सा0 को भूमि व लगान का बंटवाडा करवाने का कहा तो दिनांक 11/02/2015 को ग्राम-चावण्डिया में ईन्कार हो गये। गै0सा0 शामलाती भूमि को बिना सायल के ईजाजत के बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। जबकि शामलाती भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार गै0सा0 को नहीं हैं। अगर शामलाती भूमि को बिना सायल की सहमती के बेचान कर दिया, तो विविध मुकदमे बाजी होगी व सायल खर्चे हरजे से जेर बार होगा। शामलाती भूमि में ट्यूब वेल भी खुदाया हुआ है। शामलाती भूमि में से कुछ भूमि रोड बाउण्डरी में अवाप्त हो गयी है तथा उक्त भूमि में वृक्षो की कटाई होकर भूमि में पड़े हैं। परन्तु सायल के हिस्से की लकड़ी को गै0सा0 नही लेने देता हैं तथा अकेला ही लेने पर आमादा है, जिससे काफि विवाद भी बढ़ गया है। गै0सा0 जानबूझ करके विवाद कर रहे है तथा शामलाती भूमि को बेचान हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा हैं। शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने को कहा तो दिनांक 11/02/2015 को ईन्कार हो गये तथा कई लोगो ने समझाया परन्तु नहीं माने इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हैं। जिससे की न्यायालय के समक्ष यह बंटवाडा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पड़ रहा हैं। सायल का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला हैं। सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस कन्वीनियन्स भी सायल के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन जो वादी सायल व गै0सा0 के शामलाती है सायल उक्त भूमि खाद बीज आदि डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है तथा गैरसायल जानबुझ करके विवाद कर रहा है। शामलाती भूमि का बंटवाडा करने को कहा तो ईन्कार हो गया। इस बाबत काफी लोगो ने भी समझाया परन्तु गैरसायल नही माना इस कारण श्रीमान के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है तथा गैरसायल बिना सायल की ईजाजत के उक्त भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। बिना सायल की सहमती से भूमि का बैचान कर दिया, तो विविध मुकदमें बाजी होगी तथा सायल खर्चे हरजे से जैरबार होगा।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-चावण्डिया कलां में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के कब्जे काश्त की उक्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 16/02/2015 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 0-1 बिस्वा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 543 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि को विक्रय हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 16/02/2015 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 09/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-चावण्डिया कलां पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner